संयुक्त अरब अमीरात: निर्माण कार्य में अचानक आई तेज़ी में कामगारों का शोषण

निर्माण कार्यों में लगे प्रवासी कामगारों के शोषण को प्रदर्शित करती एक नई रिपोर्ट

(दुबई, नवम्बर 12, 2006) मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जहां एक ओर संयुक्त अरब अमीरात दुनिया भर में भवन निर्माण के क्षेत्र में आई ज़बर्दस्त तेज़ी का अनुभव करने वाले देशों में से एक है वहीं इसकी सरकार निर्माण कार्य में काम करने वाले पांच लाख प्रवासी कामगारों के अधिकारों का उनके मालिकों के हाथों होने वाले ज़बर्दस्त हनन को रोकने में असफल रही है.

संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शैख़ मोहम्मद बिन राशिद अल-मख़तूम ने मंगलवार को श्रम के मंत्री डॉक्टर अली बिन अब्दुल्लाह अल-कॉबी को यह आदेश दिया कि वह देश के श्रम क़ानून को लागू करें और ह्यूमन राइट्स वॉच की सिफ़ारिशों के आधार पर तुरंत विभिन्न प्रकार के सुधार करें.

“प्रधानमंत्री द्वारा कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया आदेश सही दिशा में एक स्वागत योग्य क़दम है,” ह्यूमन राइट्स वॉच की मध्यपूर्व की निर्देशक सारा लियाह व्हिटसन ने कहा. “लेकिन जब तक सरकार क़ानून तोड़ने वालों को ज़िम्मेवार ठहराना शुरू नहीं करती संयुक्त अरब अमीरात की यह आसमान को छूती हूई इमारतें मज़दूरों के बड़े पैमाने पर शोषण के प्रतीक के तौर पर ही याद की जाएँगी.”

कामगारों, सरकारी अधिकारियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों से व्यापक साक्षात्कार पर आधारित 71 पन्नों की यह रिपोर्ट जो 'ऊँची इमारतों का निर्माण, कामगारों के साथ धोखाधड़ी' शीर्षक से लिखी गई है, इस में संयुक्त अरब अमीरात में मालिकों द्वारा निर्माण कार्य में लगे कामगारों के गंभीर शोषण को दिखाया गया है, जिसमें बेगार या बहुत ही कम मज़दूरी, वर्षों रोज़गार एजेंसियों के क़र्ज़ तले दबे रहना जिसके बारे में संयुक्त अरब अमीरात का क़ानून कहता है कि यह शुल्क मालिकों को ही चुकाना है, पासपोर्ट अपने पास रख लेना और ख़तरनाक स्थितियों में काम करने जैसे गंभीर दुरूपयोग शामिल हैं जिसके कारण प्रत्यक्ष तौर पर मृत्यु और घायल होने की दर काफ़ी बढ़ गई है.

इस वर्ष के प्रारंभ में कामगारों के लगातार ज़ोरदार प्रदर्शन और हड़ताल, जिन्हें भारी प्रचार मिला, उनके बाद संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने ट्रेड यूनियन को क़ानूनी हैसियत देकर काम करने वालों के अधिकारों का आदर करने और कामगारों के बारे में अपने क़ानून को कड़ाई से लागू करने का वचन दिया जोकि काग़ज़ पर अपेक्षाकृत अच्छा दिखता है. लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि सरकार ने ऐसा नहीं किया है. ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया कि निर्माण उद्योग में शामिल किसी भी मालिक का सरकारी रिकार्ड नहीं है जिससे कि उसे कोई जुर्माना भरने के लिए बाध्य किया जा सके या श्रम क़ानून का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर उसे दंडित किया जा सके.

संयुक्त अरब अमीरात में इस समय नाटकीय तौर पर निर्माण का कारोबार तेज़ी से फलफूल रहा है और निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत 500,000 कामगारों में से लगभग सभी या अधिकतर प्रवासी हैं, उनमें से अधिकतर दक्षिण एशियाई हैं. 2,738,000 प्रवासी कामगार देश में कामगारों की कुल संख्या का 95 प्रतिशत हैं.

व्हिटसन का कहना है, "सैंकड़ों चमचमाती ऊँची इमारतों का निर्माण बाहर से लाए गए कामगारों द्वारा अत्यधिक शोषणकारी परिस्थितियों में काम के नतीजे में ही संभव हो पाया है."

27 अक्तूबर को ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने निष्कर्ष और सिफ़ारिशों को एक पत्र के ज़रिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार को भेजा. उसके फ़ौरन बाद 7 नवम्बर को प्रधानमंत्री ने अपने श्रम मंत्री को आदेश दिया कि ह्यूमन राइट्स वॉच की सिफ़ारिशों के आधार पर तुरंत सुधार करें. ख़ास तौर से प्रधानमंत्री के आदेश में श्रम मंत्री से कहा गया है कि एक विशेष श्रम अदालत स्थापित करके श्रम संबंधी विवाद को हल करें, सरकारी निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करें, मालिक निम्न-कुशलता वाले कामगारों के लिए स्वास्थ बीमा की सुविधा प्रदान करे, और बकाया मज़दूरी के वसूलने का आवश्यक उपाय तैयार करे जिस से कि कामगार अपना पैसा वापिस पा सकें. ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस त्वरित प्रतिक्रिया और उस में निहित अधिकारों के हनन की समस्या की स्वीकृति का स्वागत किया है.

संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद नियोक्ता निर्माण कार्यों के लिए प्रवासी कामगारों को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य जगह स्थित रोज़गार दिलाने वाली एजेंसियों के ज़रिए बुलाते हैं. यह एजेंसियां मालिकों के बजाय ग़ैरक़ानूनी तौर पर कामगारों को यात्रा ख़र्च, वीज़ा, सरकारी फीस और रोज़गार दिलाने की सेवाओं के नाम पर 2000-3000 अमरीकी डालर अदा करने को बाध्य करती हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच ने जिन 60 कामगारों से बात की उनमें से सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने यह ख़र्च अदा करने के लिए अपने रोज़गार एजेंटों से 10 प्रतिशत तक के मासिक ब्याज पर ऋण लिए. इसके नतीजे में अपनी नौकरी के शुरू के दो तीन साल तक उन्हें अपने इस क़र्ज़ को चुकाने के लिए अपने नाममात्र के वेतन में से अधिकतर राशि इन एजेंटों को देनी पड़ जाती हैं.

संयुक्त अरब अमीरात के क़ानून में जबकि स्पष्ट रूप से स्थानीय रोज़गार एजेंटों को कामगारों से इस प्रकार की कोई फ़ीस लेने पर प्रतिबंध है, भर्ती करने वाले एजेंट और नियोक्ता दोनों ही इसका खुले तौर पर उल्लंघन करते हैं. संयुक्त अरब अमीरात में रोज़गार दिलाने वाले कुछ एजेंटों ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि वह कामगारों और नियोक्ताओं के बीच दलाल का काम करते हैं, कामगारों से फ़ीस लेकर उन्हें नियोक्ताओं के हवाले करते हैं जोकि इस राशि को अपना अधिकृत लाइसेंस लेने के लिए सरकार के पास जमा करा देते हैं.

व्हिटसन ने कहा, "सरकार प्रायः यह कहती है कि अगर कामगार यहाँ ख़ुश नहीं हैं तो वह जब भी चाहें संयुक्त अरब अमीरात से जा सकते हैं. लेकिन जब उनके सर पर हज़ारों डॉलर का क़र्ज़ हो और नया काम मिलने की कोई उम्मीद न हो तो सच्चाई तो यह है कि उनके पास अधिक विकल्प ही नहीं है."

ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया है कि नियोक्ता 'सेक्युरिटी' के लिए आम तौर पर निर्माण कार्यों में जुटे कामगारों का कम से कम दो महीने का वेतन और उनके पासपोर्ट रोके रखते हैं ताकि कामगार काम छोड़ कर भाग न सकें. रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि बहुत से मामलों में नियोक्ताओं ने उस से भी अधिक समय तक वेतन रोक रखा है. कामगार अपने वेतन के लिए व्यग्र हैं लेकिन वह अपने क़र्ज़ के जाल में फंसे हुए हैं और संयुक्त अरब अमीरात का क़ानून बिना पुराने मालिक की अनुमति के दूसरी जगह नौकरी करने की अनुमति नहीं देता. कई मामलों में सरकार ने कंपनियों को वेतन देने के लिए बाध्य किया है लेकिन किसी भी नियोक्ता को वेतन न देने या किसी अन्य प्रकार के श्रम क़ानून का उल्लंघन करने पर किसी तरह के जुर्माने या कारावास का कोई रिकार्ड नहीं है.

निर्माण कार्य में जुटे कामगारों के वेतन जोकि 106 से 250 अमरीकी डॉलर प्रति माह है वे देश की औसत आय 2106 डॉलर प्रतिमाह से काफ़ी कम हैं. हाल ही में

कामगारों द्वारा किए गए कई प्रदर्शन बेहतर वेतन की मांग पर केंद्रित रहे हैं. हालाँकि संयुक्त अरब अमीरात के 1980 के श्रम क़ानून में सरकार से कम से कम वेतन निर्धारित करने के लिए कहा गया है लेकिन पिछले 26 वर्षों में वह ऐसा करने में विफल रही है.

व्हिटसन ने कहा, "संयुक्त अरब अमीरात सरकार को चाहिए कि वह एसे नियोक्ताओं और भर्ती करने वाले एजेंटों के ख़िलाफ़ अपराध संबंधी दंड और आर्थिक जुर्माना लगाए जो कामगारों से उनकी भर्ती के लिए रोज़गार और यात्रा शुल्क लेना बंद नहीं करते हैं और उनके वेतन और पासपोर्ट ज़ब्त रखते हैं."

हर वर्ष संयुक्त अरब अमीरात में सैकड़ों प्रवासी कामगारों की रहस्मय परिस्थितियों में मौत होती रही है. सरकार के पास उनमें से कुछ ही की मृत्यु का लेखाजोखा मौजूद है. इसका प्रमुख कारण यह है कि लगता है कि वह नियोक्ता के द्वारा काम करने के स्थान पर मरने या घायल होने वाले कामगारों की सूचना दिए जाने के अपने ही क़ानून को लागू करने में विफल रही है.
उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2004 में ही, भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के दूतावासों ने 880 कामगारों के शवों को उनके देश या घर वापस भेजा है. फिर भी दुबई अमीरात ही एक ऐसी अमीरात है जो कि प्रवासी कामगारों की मौत का रिकार्ड रखती है, उसके पास भी उस वर्ष सिर्फ़ 34 निर्णाण कामगारों की मौत का रिकार्ड है जो कि सिर्फ़ छह कंपनियों के रिकार्ड पर आधारित है.

सरकार कामगारों को कोई संगठन या ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति नहीं देती है. इस प्रकार कामगारों के अधिकारों के लिए लड़ने की कोई सुचारू प्रक्रिया नहीं है. गत दो वर्षों में निर्माण कार्य में लगे हज़ारों कामगार जनता के सामने प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए. मार्च 2006 में सरकार ने वादा किया कि इस वर्ष के अंत तक वह ट्रेड यूनियनों को क़ानूनी हैसियत दे देगी लेकिन इसके विपरीत

सितम्बर में उसने कामगारों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने वाला एक नया क़ानून पारित किया और घोषणा की कि हड़ताल करने वाले कामगारों को देश से वापस भेज दिया जाएगा.

व्हिटसन ने कहा, "हम आशा करते हैं कि सरकार का श्रम क़ानून लागू करने के नए वादे की परिणति उसके ट्रेड यूनियन को क़ानूनी हैसियत देने के वादे को तोड़ने की तरह नहीं होगी."

ह्यूमन राइट्स वॉच ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य होने के नाते कहा कि वह कामगारों के बुनियादी अधिकारों का आदर करे और उसे लागू करे, जिस में संगठन बनाने की आज़ादी, सामूहिक सौदेबाज़ी, और हड़ताल करने की स्वतंत्रता शामिल है. ह्यूमन राइट्स वॉच ने सरकार से यह भी कहा कि वह कामगारों के अधिकार की रक्षा और उसके प्रोत्साहन के लिए अपने मौजूदा क़ानून को लागू करे.

इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस समय संयुक्त अरब अमीरात सरकार के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर विचार-विमर्श कर रही अमरीकी, यूरोपीय संघ और आस्ट्रेलिया की सरकारों पर ज़ोर दिया है वे किसी भी समझौते से पहले कामगारों के मौलिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित कराने के प्रयास करें.

रिलीज़ के बाद यह यहाँ उपलब्ध होगी:

http://hrw.org/reports/2006/uae1106/

दुबई में प्रवासी कामगारों पर फ़ोटो फ़ीचर, जिसे मैगनम फ़ोटोग्राफ़र अब्बास ने इस रिपोर्ट के साथ लेने के लिए तैयार किया है देखने के लिए कृपया इस लिंक पर क्लिक करें:

http://hrw.org/photos/2006/uae1106/index.html